

उत्तर प्रदेश शासन  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7  
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)  
संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016  
लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) के संचालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न वादों यथा ओ0ए0 सं0-306/2016, ओ0ए0 सं0-681/2018, ओ0ए0 सं0-48/2016, ओ0ए0 सं0-1038/2016, ओ0ए0 सं0-673/2018, ओ0ए0 सं0-173/2018, ओ0ए0 सं0-317/2015, ओ0ए0 सं0-200/2014 एवं समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 15 शहर अति वायु प्रदूषित, 09 औद्योगिक समूह क्रिटिकली/सिरियसली प्रदूषित एवं 12 प्रमुख नदियों के नदीखण्ड क्रिटिकली प्रदूषित श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित हैं। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नहीं हैं तथा प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट के प्रबन्धन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की उपरोक्त असन्तोषजनक स्थिति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन हेतु प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र विकसित किया जाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में सम्पादित कार्यवाही का सतत अनुश्रवण किया जा सके।

2- उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु निम्न अनुश्रवण तन्त्र स्थापित किया जाता है-

क

**क-अनुश्रवण के कार्य हेतु वेब पोर्टल का विकास:** उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुश्रवण कार्य की सुगमता हेतु एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" विकसित किया गया है जिसका यू०आर०एल० [www.upecp.in](http://www.upecp.in) है।

**ख-जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया:** जिले स्तर पर वर्तमान में विभिन्न अनुश्रवण समितियां जैसे जिला पर्यावरण समिति, जिला प्लान्टेशन समिति, जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (बायो मेडिकल वेस्ट), जिला स्तरीय समिति (क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्र) संचालित है।

(1) भविष्य में जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु उपरोक्त वर्णित समितियों के दायित्वों को समाहित करते हुए एक समिति "जिला पर्यावरणीय समिति" का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है-

- |   |          |
|---|----------|
| 1. जिलाधिकारी   | -अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी  | -सदस्य   |
| 3. वरिष्ठ पुलिस-अधीक्षक   | -सदस्य   |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य   |
| 5. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी, स्थानीय निकाय                                  | -सदस्य   |
| 6. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण   | -सदस्य   |
| 7. नगर आयुक्त, नगर निगम   | -सदस्य   |
| 8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत                               | -सदस्य   |
| 9. जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य एवं रसद)                                    | -सदस्य   |
| 10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी  | -सदस्य   |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग  | -सदस्य   |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग                                   | -सदस्य   |
| 13. अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० पावर कार्पो० लि०                             | -सदस्य   |
| 14. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी   | -सदस्य   |
| 15. पुलिस अधीक्षक, यातायात  | -सदस्य   |
| 16. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र                                      | -सदस्य   |
| 17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०डी०सी०                             | -सदस्य   |
| 18. जिला पंचायत राज्य अधिकारी   | -सदस्य   |
| 19. जिला कृषि अधिकारी   | -सदस्य   |
| 20. जिला उद्यान अधिकारी   | -सदस्य   |
| 21. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी  | -सदस्य   |
| 22. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी  | -सदस्य   |

५२

23. समस्त ऑयल एवं गैस कम्पनीज के प्रतिनिधि -सदस्य
24. समस्त सिटी गैस नेटवर्क के प्रतिनिधि -सदस्य
25. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य
26. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन -सदस्य
27. जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकता नामित अन्य अधिकारी/प्रतिनिधि (कैन्टॉनमेन्ट बोर्ड, जिला पंचायत, जल निगम, रेलवे, भू-जल, औद्योगिक संगठन, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षण संस्थानों/विशेषज्ञआदि) -सदस्य
28. जिला वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी -सदस्य संयोजक

(2) जिला पर्यावरणीय समिति की बैठक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जायेगी जिसमें जिलाधिकारी व जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक उपस्थित होंगे। जिला पर्यावरण समिति द्वारा निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी-

(i) उ0प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर विषयवार अनुपालन सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु टैम्पलेट प्रदर्शित होंगे। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा उक्त टैम्पलेट पर संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर संकलित की जायेगी तथा उसकी एक प्रति माह के प्रथम कार्य दिवस में सदस्य संयोजक को उपलब्ध करायी जायेगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोर्टल का लॉग-इन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पोर्टल पर उपलब्ध टैम्पलेट पर सूचनायें पूर्ण किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे-

क्र0 सं0	अनुपालन हेतु टैम्पलेट का विषय	नोडल अधिकारी
1.	ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट प्रबन्धन	नगर निगम क्षेत्र हेतु नगर आयुक्त तथा स्थानीय निकायों हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
2.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	ई-वेस्ट प्रबन्धन	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख नदियों के किटिकली प्रदूषित नदी खण्ड, अति वायु प्रदूषित 15 शहरों एवं किटिकली/सीरियसली प्रदूषित 09 औद्योगिक समूहों से संबंधित एक्शन प्लान में कार्यवाही के बिन्दु के समक्ष चिन्हित संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा अनुपालन सूचना निर्धारित टैम्पलेट पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

क

(ii) सदस्य संयोजक उक्त सूचना के आधार पर बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे तथा जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठकोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व सदस्य संयोजक का होगा।

(iii) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा बैठकोपरान्त अनुपालन सूचना में आवश्यक संशोधन करते हुये सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से वेब पोर्टल [www.upecp.in](http://www.upecp.in) पर अपलोड करायी जायेगी।

(iv) मण्डलायुक्त के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक हेतु संकलित सूचना एवं जिला पर्यावरण समिति का कार्यवृत्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त के स्तर पर बैठक का एजेण्डा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार कर बैठक करायी जायेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

**ग-राज्य स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया:** मा० अधिकरणद्वारा पारित विभिन्न आदेशों के द्वारा गठित की गयी अनुश्रवण समितियों को समाप्त करते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय समितियों का गठन/पुनर्गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तर से अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी भी नामित हैं।

(1) मुख्य सचिव के स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत विषयवार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समितियों एवं उनके कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैं:-

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
(i)	इम्प्लीमेंटेशन कमेटी	गंगा नदी में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(ii)	रिवर रिजुविनेशन कमेटी	गंगा नदी की समस्त सहायक नदियों में नदी जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों का अनुश्रवण	कृषि उत्पादन आयुक्त
(iii)	एयर क्वालिटी, मानिटोरिंग कमेटी	प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराए जाने हेतु कार्यों की प्रगति का	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(45)

क्र० सं०	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र	समिति के अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
		अनुश्रवण	
(iv)	राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति	समस्त प्रकार के अपशिष्ट यथा ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमॉलिशन अपशिष्ट के नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण किए जाने की स्थिति का अनुश्रवण	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

उक्त राज्य स्तरीय समितियों की अनुश्रवण बैठक माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जिला पर्यावरणीय समिति द्वारा वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी मासिक प्रगति उक्त राज्य स्तरीय समितियों के लाग-इन पर प्रदर्शित होगी। राज्य स्तरीय विभागीय समितियों द्वारा उक्त मासिक प्रगति आख्याओं व कार्यवृत्तों का अनुश्रवण एवं अध्ययन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट में ऐसे बिन्दु पृथक किये जाएंगे जिन पर अनुपालन हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक होगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण का संक्षिप्त विवरण, बैठक का एजेण्डा तथा ऐसे समस्त बिन्दुओं तथा नियमों के अनुपालन की स्थिति को मुख्य सचिव की अनुश्रवण बैठक में निर्णय हेतु वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। राज्य स्तरीय समितियों द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा ताकि बैठकों का कार्यवृत्त एजेण्डा इत्यादि तैयार कर वेब पोर्टल पर अपलोड सुगमता से कराये जा सकें।

(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु नामित किये गये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान जिला स्तर पर आयोजित बैठक में पर्यावरण अनुपालन के बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जायेगी। जिला पर्यावरण समिति के सदस्य संयोजक द्वारा पर्यावरण अनुपालन की वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी अद्यतन सूचना बैठक के एजेण्डा सहित नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनुपालन के संबंध में अपनी टिप्पणी माह के अंत में वेब पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी। नोडल अधिकारी की उक्त टिप्पणी जिला स्तर पर एवं राज्य स्तरीय समितियों के स्तर पर पोर्टल में प्रदर्शित होगी जिसका संज्ञान लेकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त टिप्पणियों के आधार पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किये जायेंगे।

क/

**घ-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया:** मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव की उक्त बैठक हेतु पोर्टल में प्रदर्शित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा विषयवार प्रस्तुत अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं चिन्हित बिन्दु, जिन पर मुख्य सचिव स्तर से हस्तक्षेप आवश्यक है, सहित बैठक का एजेण्डा तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर अनुमोदित करवाकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उक्त कार्य हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अधिकारी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अनूप चन्द्र पाण्डेय  
मुख्य सचिव।

**संख्या-13/2019/एन.जी.टी.-257/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/कार्यक्रम क्रियान्वयन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नगर विकास/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/श्रम/सिंचाई/परिवहन/लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/खाद्य एवं रसद/सूचना प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
8. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
11. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।
13. जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकतम 02 पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन।
14. जिला पर्यावरण समिति के समस्त सदस्यों को संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(कल्पना अवस्थी)  
प्रमुख सचिव।